न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण प्रार्थना पत्र– 12/2024

उनवान

भोलीराम उर्फ भोलू राम लुहार पुत्र नाराण जाति लुहार उम्र 64 वर्ष निवासी सलावटो का मोहल्ला ग्राम बिजोलिया कलां जिला भीलवाडा राजस्थान।

.... प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला–चित्तौडगढ ।

............विपक्षी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी।

पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 30.07.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के सयुंक्त खातेकाश्त की कृषि आराजीयात ग्राम धांगडमउकलां प0ह0 धांगडमउकलां तहसील रावतभाटा में संवत 2076–79 के अनुसार खाता संख्या 133 खसरा संख्या 82, 83, 84, 85 रकबा 3.35है0 है। जिसमें मुझ प्रार्थी के अलावा अन्य सह खातेदार भी है, मेरे हिस्से की जमीन पर में प्रार्थी काबिज होकर काश्त करा हूँ। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन जमाबंदी नकल में मेरा नाम भोलीराम व मेरे पिता का नाम नाराण लिखा हुआ है तथा मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम भोलूराम लुहार व मेरे पिता का नाम नारायण लुहार लिखा हुआ है। बचपन में प्रार्थी ग्राम बोराव में रहता था फिर बाद मे मजदूरी करने के लिए मे ग्राम बिजौलिया आ गया तब पीछे से उक्त कृषि आराजीयात का विरासत का इंतकाल खुलवाते समय मेरे परिवारजनों ने राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के बचपन में पुकारे जाने वाला नाम भोलीराम लिखवा दिया है इसलिए मुझ प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में भोलीराम नाम दर्ज हो गया, जबकि मेरा नाम सभी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पहचान पत्र में भोलूराम लुहार लिखा हुआ है, इसलिए मेरे नाम की इन्द्राज दुरूस्ती कर उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मे मुझ प्रार्थी का नाम भोलीराम उर्फ भोलूराम लुहार किया जाना न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थी के खाते दर्ज रिकार्ड कृषि आराजीयात ग्राम धांगडमउकलां प0ह0 धांगडमउकलां तहसील रावतभाटा में स्थित खाता संख्या 133 खसरा संख्या 82, 83, 84, 85 रकबा 3.35है0 में मुझ प्रार्थी का नाम भोलीराम उर्फ भोलूराम लुहार पिता नारायण किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के ग्राम धांगणमउकलां के खाता संख्या 133 खसरा संख्या 82, 83, 84, 85 रकबा 3.35है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है, जिसमें प्रार्थी भोलीराम पिता नारायण हिस्सा 1/6 जाति लोहार के नाम दर्ज है। प्रार्थी भोलूराम पुत्र नाराण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भोलीराम पुत्र नारायण व भोलूराम पुत्र नारायण को एक ही व्यक्ति का होना पाया गया। मौके ... जाहिर आया की प्रार्थी भोलूराम पुत्र नारायण का वर्तमान निवास स्थान बिजोलिया ... है ... मौके पर उपस्थित भी नहीं मिला। मौतबिरानों से पूछने पर जाहिर ... होना एक ही व्यक्ति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.02 12:55:02 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलो... किया। तहसीलदार राव... प0ह0 धांगडमउकलां रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी का नाम भोलीराम के स्थान पर भोलीराम उर्फ भोलूराम किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

–:आदेशः–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ग्राम धांगडमउकलां प0ह0 धांगडमउकलां तहसील रावतभाटा में स्थित खाता संख्या 133 खसरा संख्या 82, 83, 84, 85 रकबा 3.35 है0 प्रार्थी का नाम भोलीराम पिता नाराण के स्थान पर भोलीराम उर्फ भोलूराम पिता नारायण किये जाने की इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.7.2024 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.02 12:55:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner